न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S
राजस्व वाद संख्या : 148/22 (वि.प्रा.पत्र)
G.C.M.S. NO. 2022/285

1. श्री इमरान पठान श्री मोहम्मद यासीन पठान, आयु–वयस्क, निवासी– भुवाणा उदयपुर, जिला उदयपुर

..........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

..........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 13.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अगोरीया, की जमाबंदी सम्वत् 2068–71 में खाता संख्या 202 खसरा न. 814/1 रकबा 3–00 बीघा, आराजी न. 824/814 रकबा 4–00 बीघा कुल किता –2 कुल रकबा 7–00 बीघा, जरिए नामान्तरण 973 से पुष्पा कुंवर पत्नी शेरसिंह राणावत सा. बरोडिया के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात को प्रार्थी इमरान पठान पिता मोहम्मद यासीन पठान द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया जिसका अभी तक रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि गत भू माप को वर्तमान में बीघा से भूमि के हैक्टेयर में परिवर्तन होने पर गत रकबा 7–00 बीघा को 1.5100 होना चाहिए जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 1.4100 अंकित है। जिसके कारण विक्रय पत्र के अनुसार खाता परिवर्तन करवाने में परेशानी हो रही है । अतः राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रकबे को सही करवाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:27 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण तहसीलदार भीण्डर द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट मय अनुशंषा पेश की गई जो इस प्रकार हैं

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर,जिला–उदयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner

I. मौजा अगोरीया, की जमाबंदी सम्वत् 2068–71 में खाता संख्या 202 खसरा न. 814/1 रकबा 3–00 बीघा, आराजी न. 824/814 रकबा 4–00 बीघा कुल किता –2 कुल रकबा 7–00 बीघा, जरिए नामा 973 से पुष्पा कुंवर पत्नी शेरसिंह राणावत सा. बरोडिया के नाम दर्ज हुई है।

II. बंदोबस्त विभाग द्वारा भू– प्रबंधन कार्यवाही के पश्चात उपलब्ध कराए रिकार्ड अनुसार वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2078–81 में नवीन खाता सं. 96 के आराजी न. 2041 रकबा 0.8600 आराजी न. 2073/2041 रकबा 0.5500 है कुल किता –2 कुल रकबा 1.4100 है पुष्पा कुंवर पत्नी शेरसिंह राणावत सा. बरोडिया के नाम दर्ज रिकार्ड है।

III. प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि गत भू माप को वर्तमान में बीघा से भूमि के हैक्टेयर में परिवर्तन होने पर गत रकबा 7–00 बीघा को 1.5100 होना चाहिए जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 1.4100 अंकित है। जिसके कारण विक्रय पत्र अनुसार खाता परिवर्तन करने में परेशानी हो रही है। साथ ही प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 5 में यह भी स्वीकार किया है कि उसका कब्जा 7–00 बीघा भूमि पर है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में कम अंकित रकबे को सही करवाने का निवेदन किया गया है।

IV. पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई रिपोर्ट अनुसार नवीन आराजी न. 2073/2041 रकबा 0.5500 अंकित है। जिसका गत आराजी न. 814/1 रकबा 3–00 बीघा था (मिलान क्षेत्रफल अनुसार) जिसके हैक्टेयर में परिवर्तित [illegible]00 होना चाहिए लेकिन नवीन रिकार्ड में रकबा 0.5500 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:27 IST
Reason: SelfAttested

V. चुकि गत रिकार्ड अनुसार रकबा [illegible] करने से ग्राम की कुल रकबा में बढोतरी होगी इसलिए बिलानाम आराजी न.2042 रकबा 0.3400 में से 0.1000 है कमी की जाकर बिलानाम का आराजी न. 2042 का रकबा 0.2400

उपखण्ड अधिकारी
जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

संशोधित कराने तथा आराजी न. 2073/2041 का संशोधित रकबा 0.6500 दर्ज कराने हेतु प्रकरण मय दस्तावेज श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णीत तथ्यों को दोराया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम अगोरीया की खाता संख्या 202 आराजी नम्बर 814/1, 824/814 किता 2 रकबा 7 बिघा जरिए नामानंतरण से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सें क्रय की जिसका अभी तक रिकार्ड में नाम क्रेता पुष्पा कुंवर पत्नी शेरसिंह राणावत नाम दर्ज हैं। बंदोबस्त विभाग द्वारा भू प्रबंध कार्यवाही के पश्चात नवीन खाता संख्या 96 के रकबे मे परिवर्तन हो गया हैं। जिससें विक्रय पत्र अनुसार खाता नाम परिवर्तन करने में परेशानी हो रही हैं। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई। जिसके अनुसार नवीन आराजी न. 2073/2041 रकबा 0.5500 अंकित है। जिसका गत आराजी न. 814/1 रकबा 3–00 बीघा था (मिलान क्षेत्रफल अनुसार) जिसके हैक्टेयर में परिवर्तित रकबा 0.6500 होना चाहिए था लेकिन नवीन रिकार्ड में रकबा 0.5500 है। दस्तावेज के अध्ययन करने से यह पाया की रकबा शुद्धि करने से ग्राम के कुल रकबे में बढोतरी होगी। इसलिए बिलानाम आराजी न. 2042 रकबा 0.3400 हैक्टेयर में से 0.1000 हैक्टेयर कमी की जाना आवश्यक हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:27 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा [illegible]रीया, पटवार हल्का बरोडिया, भू–अभिलेख निरीक्षक बडगांव, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. के आराजी न. 814/1 रकबा 3 बिघा जिसका नवीन आराजी न. 2073/2041 रकबा 0.5500 में

उपखण्ड अधिकारी
जिला–उदयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner

संशोधन कर आराजी न. 2073/2041 रकबा 0.6500 करने तथा बिलानाम आराजी न. 2042 रकबा 0.3400 हैक्टेयर में से 0.1000 हैक्टयर कमी की जाकर आराजी नम्बर 2042 का रकबा 0.2400 संशोधित करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

13/8

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner